षोडश माला, खंड 25, अंक 2

मंगलवार, 18 जुलाई, 2017
27 आषाढ़, 1939 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

18.07.2017

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

नरेश कुमार
उप निदेशक

© 2017 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

18.07.2017

विषय - सूची

षोडश माला, खंड 25, बारहवां सत्र, 2017 / 1939 (शक)
अंक 2, मंगलवार, 18 जुलाई, 2017 / 27 आषाढ़, 1939 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
विभिन्न दु:खद घटनाओं में जानमाल की क्षति	12-14
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21	15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 22 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	

18.07.2017

अध्यक्ष द्वारा बधाई

इसरो के वैज्ञानिकों
तथा 16-17
एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के भारतीय दल को बधाई

सभा पटल पर रखे गए पत्र 19-22

विधेयकों पर अनुमति 23-24

लोक लेखा समिति
75वें से 79वां प्रतिवेदन 25

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति
204वां प्रतिवेदन 26

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति
249वां तथा 250वां प्रतिवेदन 26

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(1) स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017 27

(2) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017 28

(3) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 29

18.07.2017

नियम 377 के अधीन मामले 30-61

(एक) गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई की स्थापना के बारे में

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 31

(दो) बिहार में सीवान रेलवे स्टेशन के निकट चाप ढाला रेल समपार पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव 32

(तीन) महाराष्ट्र के चालीसगांव में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड इकाई को पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. टी. नाना पाटील 33

(चार) राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित पाण्डुरणा-वरुड-हाथुरना सड़क की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. ताड़स 34

(पाँच) कृषि उत्पादकता में वृद्धि किए जाने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री लल्लू सिंह 35

(छह) महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में शीतागार स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण 36

(सात) संविधान की आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल किए जाने कीआवश्यकता।

श्री अभिषेक सिंह 37

(आठ) दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कोलकाता से झारखंड स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार राय 38

(नौ) धनबाद-चन्द्रपुरा रेल लाइन बंद किए जाने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 39

(दस) हिमालयी राज्यों में जैविक खेती, फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों की खेती पर आधारित उद्यमिता, प्रशिक्षण और विकास तथा रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 41

(ग्यारह) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को राजसहायता (सब्सिडी) प्राप्त दरों पर कीटनाशक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री राहुल कस्वां 42

(बारह) दक्षिण रेलवे के त्रिवेन्द्रम मंडल के अंतर्गत सास्थामोट्टा रेलवे स्टेशन को विकसित किए जाने की आवश्यकता।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 43

(तेरह) किसानों की ऋण माफी के लिए महाराष्ट्र को केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री राजीव सातव 44

(चौदह) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी में संशोधन किए जाने की आवश्यकता।

श्री एम.के.राघवन 45

(पंद्रह) किसानों को उर्वरक सब्सिडी सीधे संवितरित किए जाने की आवश्यकता।

श्री के. अशोक कुमार 46

(सोलह) जीएसटी के अंतर्गत विवरणियां दाखिल किए जाने को सरल बनाए जाने तथा छूट की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

श्री वी. एलुमलाई 47

(सत्रह) ओडिशा में महानदी के जल के बहाव को विनियमित किए जाने की आवश्यकता।

18.07.2017

	डॉ. कुलमणि सामल	49
(अठारह)	एटीएम से धनराशि निकालने पर लगाए गए शुल्क को हटाने और बैंक खातों में न्यूनतम राशि रखे जाने की आवश्यकता के प्रावधान को हटाए जाने की आवश्यकता।	
	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	50
(उन्नीस)	आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 108 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता।	
	श्री जैदेव गल्ला	51-52
(बीस)	तेलंगाना में हुजुराबाद के रास्ते काजिपेट और करीमनगर तक नई रेल लाइन बिछाए जाने हेतु रेल सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता।	
	श्री बी. विनोद कुमार	53
(इक्कीस)	शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग हेतु सहायक उपकरणों तथा साधनों पर जीएसटी के तहत लगाए गए कर में कमी किए जाने की आवश्यकता।	
	श्री वाई.वी॰सुब्बा रेड्डी	54-55
(बाईस)	केरल में रबड़ बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद किए जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता।	
	श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर	56

(तेईस) पंजाब के नंगल में राष्ट्रीय उर्वरक संयंत्र की क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 57

(चौबीस) संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता।

श्री विजय कुमार हांसदाक 58

(पच्चीस) डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर और सुभाषचन्द्र बोस को 'राष्ट्रपिता' की उपाधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री राजेश रंजन 59-60

(छब्बीस) महाराष्ट्र के सांगली जिले में नागपंचमी उत्सव मनाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री राजू शेट्टी 61

18.07.2017

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यदव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

18.07.2017

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 18 जुलाई, 2017 / 27 आषाढ़, 1939 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई]*

18.07.2017

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

विभिन्न दु:खद घटनाओं में जानमाल की क्षति

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 24 अप्रैल, 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवान शहीद हो गए और 6 अन्य घायल हो गए।

माननीय सदस्यगण, 22 मई, 2017 को यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में एक आतंकवादी हमले में 22 व्यक्ति मारे गए और 59 अन्य घायल हुए। 3 जून, 2017 को हुए एक अन्य आतंकवादी हमले में लंदन में 7 लोग मारे गए और 48 अन्य घायल हुए।

31 मई, 2017 को अफगानिस्तान के काबुल में डिप्लोमेटिक एनक्लेव के निकट हुए बम विस्फोट में 150 से आधिक लोग मारे गए तथा 21 अप्रैल, 2017 को मजार-ए-शरीफ में अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेज की 209 कॉर्प पर हुए एक हमले में 140 से आधिक अफगान सैनिक मारे गए।

यह सभा एक मत से और कठोरतम शब्दों में इन कायरतापूर्ण आतंकवादी हमलों की निंदा करती है और इन आतंकवादी हमलों मे निर्दोष लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट करती है तथा यूनाइटेड किंगडम और अफगानिस्तान के लोगों, संसदों एवं सरकारों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है और ऐसे जघन्य हमले करने वाले लोगों को दंडित करने के उनके प्रयासों का समर्थन करती है।

माननीय सदस्यगण, 19 अप्रैल, 2017 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक बस के टोंस नदी में गिर जाने से 44 लोगों के मारे जाने और कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

एक अन्य दुःखद घटना में, 23 मई, 2017 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक बस के खाई में गिर जाने से 23 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली है।

माननीय सदस्यगण, 16 जुलाई, 2017 को जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 16 अमरनाथ तीर्थयात्रियों के मारे जाने और कई अन्य तीर्थयात्रियों के घायल होने की सूचना मिली है।

माननीय सदस्यगण, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में भारी वर्षा के कारण आई भारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर संपत्ति को भारी नुकसान होने के साथ-साथ 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

श्रीलंका में 25 और 26 मई, 2017 को दक्षिण-पश्चिम मानसून से हुई लगातार वर्षा के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 200 से आधिक लोग मारे गए तथा संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके कारण लाखों लोग प्रभावित हुए। यह सभा बांग्लादेश में 12 और 13 जून, 2017 को हुए अनेक भूस्खलनों में 150 से आधिक लोगों की मृत्यु पर भी अपना शोक व्यक्त करती है।

यह सभा इन आपदाओं पर श्रीलंका और बांग्लादेश के लोगों, संसदों और सरकारों के प्रति अपनी गहन संवेदना प्रकट करती है।

माननीय सदस्यगण, 7 जून, 2017 को हुई एक दुःखद हवाई दुर्घटना में म्यांमार सशस्त्र बलों के 122 कार्मिक तथा उनके परिवार के सदस्य मारे गए। 17 जून, 2017 को पुर्तगाल में भयंकर आग से 64 लोग मारे गए और 200 से आधिक घायल हो गए।

यह सभा म्यांमार और पुर्तगाल के लोगों, संसदों और सरकारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है।

यह सभा इन दुःखद घटनाओं, जिनके कारण प्रभावित परिवारों को कष्ट और पीड़ा हुई है, उस पर गहरा दुःख व्यक्त करती है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रहेगी।

<u>पूर्वाहन 11.04 बजे</u>

(तत्पश्चात माननीय सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे।)

<u>पूर्वाहन 11.05 बजे</u>

(*इस समय श्री के. सी वेणुगोपाल, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*)।

… (*व्यवधान*)

18.07.2017

<u>पूर्वाह्न 11.05 ½ बजे</u>

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 21, श्री राधेश्याम बिश्वास - उपस्थित नहीं

अध्यक्ष… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय पर्यावरण मंत्री।

(प्रश्न संख्या 21)

(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा पुनः समवेत होने के लिए मध्याह्न

12 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>पूर्वाह्न 11.06 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

18.07.2017

मध्याह्न **12.00 बजे**

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*)

अध्यक्ष द्वारा बधाई

इसरो के वैज्ञानिकों और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भारतीय दल को बधाई

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून, 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जीसैट-19 (जीसैट-19) उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए देश का अब तक का सबसे भारी राकेट जी.एल.वी.-एम.के.(डी) सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

ऐसा करके हमारे देश ने एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी दक्षता एवं क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि ने हमें गौरवान्वित किया है।

यह सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सभी वैज्ञानिको को हार्दिक बधाई देती है जिन्होंने अपने कौशल और अथक परिश्रम से इसे सफल बनाया। सभा उनके भावी प्रयासों में सफलता की कामना करती है।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भुवनेश्वर, ओडिशा में 6 से 9 जुलाई, 2017 तक आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2017 में भारतीय दल ने 12 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 29 पदक जीतकर पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान हासिल करके इतिहास बनाया है।

यह उल्लेखनीय उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है और हमारे सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी।

मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ इस उपलब्धि के लिए भारतीय दल को बधाई देंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

(इस समय श्री जय प्रकाश नारायण यादव आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

18.07.2017

<u>अपराह्न 12.02 ½ बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री एस. एस. अहलुवालिया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया): मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)	राष्ट्रपति द्वारा 4 मई, 2017 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 1)
(2)	राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई, 2017 को प्रख्यापित पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) संशोधन अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 2)।
(3)	राष्ट्रपति द्वारा 8 जुलाई, 2017 को प्रख्यापित केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 3)
(4)	राष्ट्रपति द्वारा 8 जुलाई, 2017 को प्रख्यापित एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 4] [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7060/16/17)

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत

अधिसूचना सं. का०आ० 1548 (अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त आधिनियम की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7061/16/17)

... (व्यवधान)

अपराहन 12.03 बजे

(इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण): -

	(एक)	वर्ष 2013-2014 के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन।
	(दो)	वर्ष 2013-2014 के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।
(2)	उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7062/16/17)	

(3) संघ सरकार के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा वर्ष 2015-2016 के लिए इसके कार्यान्वयन

हेतु कार्यक्रम के बारे में 47वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7063/16/17)

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रौद्योगिकी संस्थान आधिनियम, 1961 की धारा 27 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल आफ माइंस), धनबाद के पहले परिनियम, 2017 जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 632(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7064/16/17)

... (व्यवधान)

[अनुवाद][

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): मैं भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रानिकी परक्राम्य भाण्डागारण पावतियां) विनियम, 2017 जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि..726(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7065/16/17)

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

18.07.2017

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री अरुण जेटली की ओर से 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017 प्रतिकर उपकर (दर), में संशोधन करने वाले स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ दिनांक 18 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3/3017 - प्रतिकर उपकर (दर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ताकि माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) आधिनियम, 2017 की धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना में यथाउल्लिखित सिगरेट पर लगने वाले प्रतिकर उपकर की दर में 18 जुलाई, 2017 से वृद्धि की जा सके।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7066/16/17)

18.07.2017

अपराहन 12.04 बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर अनुमति*

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मैं 17 मार्च, 2017 को सभा को दी गयी सूचना के पश्चात् 16वीं लोक सभा के 11वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 12 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

1 विनियोग विधेयक, 2017

2 विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017

3 वित्त विधेयक, 2017

4 विनियोग (रेल) विधेयक, 2017

5 विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2017

6 कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2017

7 केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017

8 एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक, 2017

9 संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017

10. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017

11. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017

---

* [ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 7067/16/17)

18.07.2017

12. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:-

1 मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017;

2 प्रसव प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2017;

3 मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2017; और

4 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017

… (*व्यवधान*)

18.07.2017

अपराहन **12.04 1/2 बजे**

लोक लेखा समिति
75वीं से 79वीं रिपोर्ट

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं लोक लेखा समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

* (1) 'सीमा शुल्क पत्तनों जरिए आयात और निर्यात व्यापार सरलीकरण का निष्पादन' विषय पर 75वां प्रतिवेदन।

*(2) 'इंदिरा आवास योजना' के बारे में समिति के 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 76वां प्रतिवेदन।

*(3) 'केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर में आभियोजन और शास्तियों का लगाया जाना' के बारे में समिति के 63वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 77वां प्रतिवेदन।

*(4) 'दबाव वाली आस्तियों के स्थिरीकरण संबंधी निधि (एसएएसएफ)' विषय पर 78वां प्रतिवेदन।

*(5) 'आदर्श को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मुंबई' के बारे में समिति के 91वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

 ये प्रतिवेदन, निदेश 71 क के अंतर्गत 29 अप्रैल, 2017 और 6 जून, 2017 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया। इस मामले को 1 मई, 2017 और 12 जून, 2017 के लोक सभा समाचार भाग 2 में विधिवत अधिसूचित किया गया।

18.07.2017

अपराहन 12.05 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति
204वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप): महोदया, मैं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और विकास के संबंध में गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का 204 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। … (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.05 ½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति
249वां तथा 250वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, मैं परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016' के बारे में दो सौ उनचासवां प्रतिवेदन

(2) 'महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016' के बारे में दो सौ पचासवां प्रतिवेदन

(*व्यवधान*)

18.07.2017

<u>अपराहन 12.06 बजे</u>

<u>सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित</u>

(1) स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017[2*]

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह): श्री एम. वेंकैया नायडू की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राव इंद्रजीत सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———————

[2*] भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II , खंड 2 दिनांक 18.7.2017 में प्रकाशित।

18.07.2017

अपराहन **12.06 1⁄2 बजे**

(2) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017[3] [अनुवाद]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. महेश शर्मा: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

[3] भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II , खंड 2 दिनांक 18.7.2017 में प्रकाशित ।

18.07.2017

<u>अपराहन 12.06 3/4 बजे</u>

(3) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017*

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने तथा इसके निगमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने और इसके निगमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री धर्मेंद्र प्रधान: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं। ... (*व्यवधान*)

 भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II , खंड 2 दिनांक 18.7.2017 में प्रकाशित ।

** राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुरःस्थापित ।

18.07.2017

अपराहन 12.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सदन पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे बीस मिनट के भीतर विषय का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

केवल उन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके विषय का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हुआ है। शेष मामलों को व्यपगत माना जाएगा।

 सभा पटल पर रखे गए माने गए।

18.07.2017

(एक) गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई की स्थापना के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): गुजरात राज्य सरकार ने एनालॉग, डिजीटल और सोलर पीवी वेफर निर्माण के लिए इसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई की स्थापना के लिए मैसर्स एन.ओ.वी.एफ. II (नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स फंड II) से प्रस्ताव प्राप्त किया है। नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स फंड (एन.ओ.वी.एफ.) ने गुजरात में फैब और पारिस्थितिकी तंत्र इकाइयों को स्थापित करने के इरादे से संकेत दिया है कि 6 करोड़ डॉलर से ज्यादा के एक परियोजना के आकार के साथ जहां निवेश 5 वर्षों में फैल गया है। उसी प्रस्ताव को 9.12.2016 को भारत सरकार को भेजा गया है।

इसके बाद राज्य सरकार ने एम.ओ.एस., एन.ओ.वी.एफ. द्वितीय से भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रीकेशन मैन्युफैक्चरिंग सेट करने के लिए एन.ओ.वी.एफ. द्वितीय के उच्च स्तरीय डी.पी.आर. प्राप्त किया है और इसे भारत सरकार को 13.01.2017 को अपने अंतिम चरण में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। जहां तक एन.ओ.वी.एफ. द्वितीय राज्य सरकार से सहायता के लिए अनुरोध है, इस मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है और एक बार निर्णय लिया गया है।

अतः मेरी मांग है कि एन.ओ.वी.एफ. द्वितीय की कार्रवाई पूरी करने के लिए राज्य सरकार से सहायता तथा आदेश दिया जाये।

18.07.2017

(दो) बिहार में सीवान रेलवे स्टेशन के निकट चाप ढाला रेल समपार पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जिला मुख्यालय सीवान के रेलवे स्टेशन के पास स्थित "चाप ढाला " एक मानव सहित रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके कारण पूरे शहर में ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसी रास्ते से शहर के किसी भी भाग में जाया जा सकता है। प्रतिदिन लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि "चाप ढाला " से दरोगा राय महाविद्यालय (लगभग तीन कि.मी.) के बीच आविलंब एक "एलिवेटड रोड " का निर्माण करवाया जाये ताकि लोगों को शहर के किसी भी भाग में आवागमन में सुविधा हो और उनकी समस्या का त्वरित समाधान हो सके।

18.07.2017

(तीन) महाराष्ट्र के चालीसगांव में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड इकाई को पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : देश में पी.पी.पी. मॉडल पर चल रहे टैक्सटाइल कारपोरेशन की लगभग 11 ईकाइयाँ बन्द पड़ी हुई है और इसी में चालीसगांव टैक्सटाइल मिल भी काफी समय से बन्द पड़ी है। इसे चालू करने में अत्यधिक देरी होने के कारण इस मिल में काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवार के हज़ारों सदस्य भुखमरी का सामना कर रहे हैं तथा वे लम्बे समय से न्यायालय में लम्बित मामले के फैसला आने तक इंतजार नहीं कर सकते। इस कारण इस क्षेत्र में बेरोज़गारी की समस्या ने काफी गंभीर रूप धारण कर लिया है। भुखमरी के शिकार इन कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की जिंदगी बचाने के लिए यह जरूरी है कि इस मिल को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम लोग इस सम्बंध में इस मामले में संबंधित आधिकारी, विभिन्न यूनियनों के नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सांसद की एक बैठक कर चुके हैं, पर इस विषय में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। मानवीय रूख अपनाते हुए आपस में परामर्श कर सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने का प्रयास करें ताकि नेशनल टैक्सटाइल मिल की इस बन्द पड़ी इकाई को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जा सके तथा मिल के भुखमरी के शिकार बेरोज़गार कर्मचारियों और उनके परिवार के हज़ारों सदस्यों की जान बचाई जा सके।

18.07.2017

(चार) राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित पाण्डुरणा-वरूड-हाथुरना सड़क की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के पाण्डुरणा-वरूड-हाथुरना राज्यमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की घोषणा कर एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके लिए माननीय पथ परिवहन मंत्री जी को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि यह पाण्डुरणा-वरूड-हाथुरना पथ की स्थिति बहुत ही खराब है। जब से यह राज्यमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित हुआ है, प्रदेश सरकार भी मरम्मत कार्य नहीं कर रही है। यात्रियों, ट्रकों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क के बीच-बीच में गड्ढे बन गए हैं एवं बरसात होने के कारण कई दुर्घटनाएँ भी इस पथ पर घट गई हैं।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस पथ का निर्माण कार्य तत्काल शुरु कराने की कृपा करें या फिर मरम्मत का कार्य करवा दें, जिससे कि यह मार्ग आने-जाने लायक हो जाए एवं समयान्तराल राज्यमार्ग का कार्य युद्ध स्तर पर कराने का कष्ट करें।

18.07.2017

(पांच) कृषि उत्पादकता में वृद्धि किए जाने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद) : भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था होने के बावजूद यहाँ का किसान खेती के अलाभकारी होने के कारण आत्महत्याएं करने के लिए विवश हो रहा है। सरकारी स्तर पर किसानों को कर्ज़ उपलब्ध कराने की विशेष सुविधाएँ देते हुए गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसानों को एक लाख करोड़ रूपये का कर्ज़ देने की व्यवस्था की गई है। किन्तु फिर भी अभी 40 प्रतिशत से आधिक किसान परिवार निजी क्षेत्र की लोन व्यवस्था पर निर्भर हैं। 2016-17 में 272 मिलियन टन अनाज पैदा होने का अंदाजा है जो पिछले अनेक वर्षों की तुलना में सवारधिक है। विशेषज्ञों का मत है कि खाद्यान्न का आधिक उत्पादन देश की खाद्य समस्या निपटाने के लिए एक सीमा तक सहायक हो सकता है किन्तु किसान की व्यक्तिगत आर्थिक समस्या निपटाने में समर्थ नहीं है।

मेरा सुझाव है कि किसान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए खेती की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। 2015-16 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा 310 नये खाद्यान्नों के बीज खोजे गये हैं जिनमें 155 गेहूँ, चावल आदि के, 50 तिलहन के, 43 दलहन के शेष अन्य खाद्यान्नों के हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इन नये शोधित बीजों को किसानों द्वारा खेती में उपयोग करने की व्यवस्था करें ताकि किसानों की उत्पादकता बढ़े और उनकी आय में बढ़ोतरी हो।

18.07.2017

(छह) महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में शीतागार स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : नियम 377 के माध्यम से मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी (महाराष्ट्र) में काफी आधिक मात्रा में अंगूर एवं अनार का एवं अन्य सब्जियों का उत्पादन होता है। किन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज आवश्यकता के अनुपात में बहुत ही कम है और उनके स्टोरेज करने की क्षमता भी कम है। जिसके कारण किसानों के करोड़ों रूपए के अंगूर, अनार एवं सब्जियाँ खराब हो जाते हैं जिससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है एवं इसके फलस्वरूप किसान कर्जदार बन जाता है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। इसके लिए वर्तमान कार्यरत कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, उन्हें आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करना चाहिए।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में अंगूर, अनार एवं अन्य सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज एवं कार्यरत कोल्ड स्टोरेज का विस्तार करने हेतु एवं उन्हें आधुनिक बनाने के लिए केन्द्रीय स्तर से इन कोल्ड स्टोरेजों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाए।

18.07.2017

(सात] संविधान की आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : छत्तीसगढ़ी भाषा, समृद्ध शब्दकोष और प्रचुर साहित्य वाली छत्तसीगढ़ राज्य की आधिकारिक राजभाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा में कविताएँ, नाटक, निबंध, शोध ग्रन्थ आदि सब कुछ लिखे गये हैं। 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण, श्री हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखा गया जिसका अंग्रेजी अनुवाद 'जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगॉल' 1890 में प्रकाशित हुआ। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रशासनिक शब्दकोष प्रकाशित किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि देवनागरी है। छत्तीसगढ़ी को बोलने और समझने वालों की संख्या आठवीं अनुसूची में शामिल कई भाषाओं को बोलने वालों से ज्यादा है। कई राज्यों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ से कम है लेकिन उनकी भाषाएँ आठवीं अनुसूची में शामिल हैं जैसे केरल (मलयालम), गोवा (कोंकणी), मणिपुर (मणिपुरी) आदि। छत्तीसगढ़ी की महता केवल आंचलिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक अत्यंत प्राचीन संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रामचरित्रमानस में भी छत्तीसगढ़ी के शब्द मिलते हैं जैसे बालकाण्ड में माखी, सोवत, जरहि, बिहार किष्किन्धाकाण्ड में पखवारा, लराई, वर्षा सुन्दरकाण्ड में सोरह, आगी, मंदुरी आदि। वर्तमान में भी बहुत से शब्द छत्तीसगढ़ी और हिन्दी भाषा के सामान रूप से उपयोग किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से निश्चित तौर पर हिन्दी भाषा और समृद्ध होगी और उसके विकास में सहयोग मिलेगा। देश के साहित्यिक विकास के साथ ही संस्कृति के संरक्षण में छत्तीसगढ़ी भाषा का असाधारण योगदान है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी जो लगभग पूरे राज्य में बोली और समझी जाती है, को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर उचित सम्मान दिया जाए।

18.07.2017

(आठ) दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कोलकाता से झारखंड स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : डी.वी.सी. स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में आस्तित्व में आयी थी। भारत के जनमानस की धरोहर डी.वी.सी. आनियमित दामोदर नदी को नियंत्रित करने हेतु किये गये अथक प्रयासों के फलस्वरूप आस्तित्व में आया। यह झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों को आवृत्त करते हुए 25000 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैली हुई है। डी.वी.सी. दामोदर घाटी निगम का आधिकतर कार्यक्षेत्र झारखंड में है, लेकिन खेद का विषय है कि इसका मुख्यालय कोलकाता में है, प्रत्येक कार्य के लिए आधिकारी/कर्मचारी व अन्य जनता को कोलकाता जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की हानि होती है। जबकि परियोजना के सबसे ज्यादा वाले हिस्से में ही मुख्यालय होना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि डी.वी.सी. का मुख्यालय कोलकाता से झारखण्ड राज्य में स्थानांतरित किया जाए।

18.07.2017

(नौ) धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन बंद किए जाने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : 15 जून, 2017 से पूर्व-मध्य रेलवे अंतर्गत धनबाद-चन्द्रपुरा, जिसे डी.सी. लाइन के नाम से भी जाना जाता है, को रेलवे लाइन के नीचे आग होने के कारण दुर्घटना की आशंका के मद्देनज़र बंद कर दिया गया। रेलवे लाइन बंद होने से 34 कि.मी. के अंदर 14 स्टेशन एवं हॉल्ट के आस-पास करीब 5 लाख से भी ज्यादा की जनसंख्या प्रभावित हुई है। इस रूट पर औसतन प्रतिवर्ष करीब एक करोड़ से आधिक यात्री यात्रा करते हैं। यह रूट झारखंड की राजधानी रांची को संथाल परगना सहित अन्य राज्यों से जोड़ती है। इस रूट पर कुल 26 जोड़ी एक्सप्रेस/पैसेंजर ट्रेनें चलती थीं। रेल लाईन बंद होने के बाद 19 ट्रेनों को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया और 7 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाता रहा है। इससे जहां इस क्षेत्र के लोगों में व्यापक आक्रोश है एवं विभिन्न पार्टियों/संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, वहीं रेलवे को करोड़ों रूपयों के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। उक्त रेलखंड के बंद होने से बी.सी.सी.एल. के विभिन्न परियोजनाओं से उत्पादित कोयले की ढुलाई प्रभावित हुई है। इस क्षेत्र से देश के विभिन्न पावर प्लांटों सहित अन्य राज्यों को भेजे जाने वाला कोयला पूर्णतः बंद है जिससे बी.सी.सी.एल. को अब तक करोड़ों रूपये का नुकसान हो चुका है। धनबाद-चन्द्रपुरा रेल खंड का पूरा भाग आग्नि प्रभावित नहीं है, फिर डायवर्जन का निर्माण बंद करने से पहले क्यों नहीं किया गया, जो आज करने की बात की जा रही है? जब वर्षों से इस रेलखंड के नीचे आग होने की जानकारी रेलवे को थी, तो क्यों नहीं परिवर्तित मार्ग का निर्माण अथवा डायवर्जन का निर्माण रेल लाईन को बंद किए जाने से पहले किया गया?

18.07.2017

मेरा सरकार से आग्रह होगा कि रेल लाइन बंद किए जाने पर पुनः विचार किया जाए। साथ ही, डायवर्जन/ नया रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाने सहित बंद की गई सभी ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाए।

18.07.2017

(दस) हिमालयी राज्यों में जैविक खेती, फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों की खेती पर आधारित उद्यमिता, प्रशिक्षण और विकास तथा रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : मैं सरकार का ध्यान देश के सीमावर्ती, पिछड़े दुर्गम, कठिन क्षेत्रों की तरफ दिलाना चाहता हूँ जहां पर बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। देश के हिमालयी क्षेत्रों के गांवों के लोग रोज़गार के अभाव में अपना घरबार छोड़कर अन्यत्र पलायन कर गए हैं। इसके कारण गांव के गांव खाली हो गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोग सैन्य कर्मियों के पश्चात् द्वितीय पंक्ति में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि हिमालय क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप वहां पर ऑगेरनिक खेती, फ्लोरीकल्चर, फल प्रसंस्करण, सब्जी, फल, मसाला उत्पादन, जड़ी-बूटी उत्पादन, इको-टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वन आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर प्रशिक्षण, रोज़गार एवं उद्यमिता विकास सुनिश्चित करना चाहिए ताकि क्षेत्र की आर्थिकी सुधरने के साथ-साथ पलायन भी रूक सके और हमारी सीमाओं के गांव खाली न हों।

18.07.2017

(ग्यारह) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को राजसहायता (सब्सिडी) प्राप्त दरों पर कीटनाशक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू के सुजानगढ़, बीदासर, तारानगर व राजगढ़ (चुरु) के आधिकांश गांवों में मोठ, बाजरा, ग्वार, तिलहन की फसलों में कातरा का प्रकोप सवारधिक मात्रा में है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से सुजानगढ़, बीदासर (चुरु) व श्रीडूंगरगढ़, नोखा (बीकानेर) के गांवों में मूंगफली की फसल में सफेद लट्ट का प्रकोप है, जिससे मूंगफली की आधिकांश फसल नष्ट होने जा रही है, इस क्षेत्र में गत वर्षों में भी सफेद लट्ट का बहुत ही ज्यादा प्रकोप रहा था, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ था।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को मूंगफली व खरीफ की अन्य फसलों को सफेद लट्ट व कातरे के प्रकोप से बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता के कीटनाशी रसायन कृषकों को यथा समय अनुदान पर उपलब्ध करवाने का श्रम कराएं ताकि किसान की फसल बर्बाद होने से बच सके।

18.07.2017

(बारह) दक्षिण रेलवे के त्रिवेंद्रम मंडल के अंतर्गत सास्थामोट्टा रेलवे स्टेशन को विकसित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सरेश (मवेलिक्कारा): सास्थामोट्टा रेलवे स्टेशन दक्षिण रेलवे, त्रिवेंद्रम मंडल के अंतर्गत आता है और यह सैकड़ों यात्रियों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। स्टेशन भवन में वेटिंग हॉल, रिफ्रेशमेंट काउंटर, रेस्ट रूम, चाय स्टॉल, वेटिंग रूम और महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा सहित कई आवश्यकताओं का अभाव है। स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और स्टेशन के दोनों ओर बाड़ की कमी यात्रियों के लिए जोखिम को बढ़ाती है। प्लेटफॉर्म शेल्टर बहुत छोटा है और यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए इसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। स्टेशन पर कोई आरक्षण काउंटर और टच स्क्रीन सुविधा नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्टेशन का समग्र क्षेत्र बहुत छोटा है और अक्सर यहां भीड़भाड़ बढ़ जाती है। मैं सरकार से सास्थामोट्टा रेलवे स्टेशन के समग्र विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर ₹ 5 करोड़ की राशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूँ।

18.07.2017

[तेरह) किसानों की ऋण माफी के लिए महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महाराष्ट्र सरकार ने 24 जून, 2017 को किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। किसानों का कर्ज माफ करने की दिशा में राज्य सरकार ने अब तक जो जी.आर. निकाले हैं, उससे महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज माफी मिलना असंभव है। इस वजह से कर्ज में डूबा हुआ किसान दुखी और परेशान है। जब तक केंद्र सरकार अपनी ओर से राज्य सरकार को मदद नहीं करेगी तब तक किसानों का कर्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता।

लोक सभा प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी ने फसल का मूल्य दोगुना करने का आश्वासन दिया था। दुर्भाग्यवश यह आश्वासन पूरी नहीं हुआ। एक तरफ किसानों की उपज को भाव नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ राज्य सरकार किसानों को कोई मदद नहीं कर रही है।

इसलिए मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार को किसान कर्ज माफी करने के लिए 34000 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

18.07.2017

(चौदह) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी में संशोधन किए जाने की आवश्यकत

[अनुवाद]

श्री एम. के. राघवन (कोझीकोड): मनरेगा की अवधारणा न्यूनतम आजीविका के साथ सबसे निचले स्तर के लोगों की मदद करने के लिए की गई थी। अब यह देखा जा रहा है कि अधिकांश राज्यों में अकुशल कृषि श्रमिकों को भी न्यूनतम स्तर पर अधिक मजदूरी मिल रही है। मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों के लिए मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण को मापदंड बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन वृद्धि का एक बेहतर संकेतक है। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने के लिए व्यय में वृद्धि अवरोधक नहीं होनी चाहिए। कम वेतन और विलंबित भुगतान के संवितरण से इस वर्ग की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मनरेगा के तहत आने वाले लोगों के लिए संशोधित उच्च मजदूरी और समय पर भुगतान तुरंत सुनिश्चित करे।

18.07.2017

(पंद्रह) किसानों को उर्वरक सब्सिडी सीधे संवितरित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): सभी पंजीकृत उर्वरक निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों को उर्वरक सब्सिडी का सीधा वितरण किया जा रहा है। उर्वरक के ग्रेड के आधार पर 5-15% तक की सब्सिडी का एक हिस्सा निर्माताओं को तभी दिया जाता है, जब खुदरा विक्रेता मोबाइल उर्वरक प्रबंधन प्रणाली में रसीद को स्वीकार करेगा।

मोबाइल उर्वरक प्रबंधन प्रणाली खुदरा विक्रेता द्वारा खरीदार या अंतिम उपयोगकर्ता को की गई बिक्री को कैप्चर करने की अपेक्षा करती है। इसमें बिक्री विवरण के साथ-साथ खरीदारों के विवरण को कैप्चर किया जाता है। कई लाभार्थियों की पहचान और पात्रता का निर्धारण आदि जैसी परिचालन और कार्यान्वयन चुनौतियाँ हैं। इससे इन परिचालन मुद्दों से निपटने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज होती है।

किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी का लाभ भ्रष्टाचार को रोकने और सब्सिडी में बर्बादी को रोकने में मदद करेगा। इसलिए, मैं चाहता हूं कि संबंधित विभाग खरीदारों के प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न पहचान उपकरणों जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बैंक खाते आदि की उपयोगिता का तेजी से पता लगाए।

18.07.2017

(सोलह) जीएसटी के अंतर्गत विवरणियां दाखिल किए जाने को सरल बनाए जाने तथा छूट की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वी. एलुमलाई (अरनी): भारत के छह करोड़ छोटे व्यापारी चाहे तैयार हों या नहीं, जीएसटी को लागू करने की जल्दबाजी कर सुधार को स्वीकार करना और अपनाना सबसे कठिन बना देती है। वर्तमान कर संरचना भारी-भरकम है क्योंकि जी.एस.टी. व्यवस्था में 'एक राष्ट्र एक कर फॉर्मूला' के बजाय सात प्रभावी कर दर स्लैब हैं। व्यवसायों को प्रत्येक राज्य के लिए 37 वार्षिक फाइलिंग (तीन महीने और एक वार्षिक प्रतिकर) करना होगा जिसमें फर्म काम करती है। असंगठित क्षेत्र के संगठित क्षेत्र में स्थानांतरित होने के साथ, वर्तमान में मौजूद एक महत्वपूर्ण श्रम अवशोषण क्षमता का क्षरण हो सकता है। यह भारत में रोजगार सृजन और बेरोजगारी की पहले से ही पुरानी समस्या को बढ़ा सकता है। जीएसटी फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

यह जानकर बहुत दुख होता है कि सरकार ने कदलई मित्तई, मूंगफली कैंडी और अचार पर जीएसटी 18 प्रतिशत तय किया है। इसी तरह वेट ग्राइंडर, दिव्यांगों के लिए गैजेट और सैनिटरी नैपकिन पर भी जीएसटी अधिक है। सरकार को लोगों और संबंधित क्षेत्रों के लाभ के लिए इन वस्तुओं को शून्य कर मदों के रूप में बनाना चाहिए।

भारत में लगभग छह करोड़ छोटी कंपनियां हैं, जिनमें से चार करोड़ से अधिक कंपनियों के पास कंप्यूटर नहीं है या वे डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं। परिचालन लागत बढ़ने वाली है क्योंकि व्यवसाय मालिकों को लेखापालों को काम पर रखना होगा और अपने प्रचालन को कम्प्यूटरीकृत करना होगा। जीएसटी व्यवस्था के तहत, अब तक के हजारों अनौपचारिक या असंगठित एम. एस. एम. ई. कर के दायरे में आने के कारण अपनी दुकानें बंद कर देंगे।

18.07.2017

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की सुरक्षा के लिए छूट की सीमा को 20 लाख के बजाय एक करोड़ किए जाने की आवश्यकता है।

18.07.2017

(सत्रह) ओडिशा में महानदी के जल के बहाव को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से नदी महानदी पर स्थित सभी बैराज और बांधों के द्वार खोलने और बंद करने की निगरानी करने और संबंधित राज्यों को ऐसी गतिविधियों का सहारा न लेने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है, जिनसे नदी में जल का प्रवाह पर्याप्त सीमा तक कम हो या बढ़ सके।

18.07.2017

(अठारह) एटीएम से धनराशि निकालने पर लगाए गए शुल्क को हटाने और बैंक खातों में न्यूनतम राशि रखे जाने की आवश्यकता के प्रावधान को हटाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : 1 मार्च से देश भर के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी बैंकों ने 3 और 5 से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करने पर ग्राहकों से आतिरिक्त चार्ज लेना शुरू कर दिया है और बैंकों के नए नियम के मुताबिक अलग-अलग बैंक अलग-अलग ट्रांजेक्शन पर कई तरह से चार्ज लगा रही है इसके साथ ही साथ बैंक ऐसे सर्विस पर भी चार्ज लगाने लगी है जो कि पहले फ्री थी।

इसके साथ ही साथ बैंक ग्राहकों द्वारा मिनीमम बैलेंस 5000 रूपये खाते में रखने का नियम बना चुकी है जहां एक ओर सरकार जनधन खाता खोल रही है वही बैंक अपनी मनमर्जी से चार्ज लगा रही है। इसके साथ ही साथ बैंक डिजीटल पेमेंट करने पर अलग से चार्ज लगाती है और इससे देश भर के बैंक ग्राहक बहुत नाखुश और रोष में हैं।

अतः सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देकर इस प्रकार बैंकों द्वारा लगाये जा रहे ट्रांजैक्शन चार्ज और मिनीमम बैलेंस को समाप्त किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दें ताकि बैंक अपने इन नियमों को समाप्त करें।

18.07.2017

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 108 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): आंध्र प्रदेश का विभाजन ठीक तीन वर्ष पहले हुआ था, लेकिन सिंचाई, कर्मचारियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभाजन, विधानसभा सीटों में वृद्धि, उच्च न्यायालय का विभाजन, संस्थानों के विभाजन आदि से संबंधित मुद्दे हैं जिनका समाधान होना बाकी है।

ए.पी. पुनर्गठन अधिनियम 1 जून, 2017 के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच किसी भी विवाद पर किसी भी प्रकार के मध्यस्थता की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 108 राष्ट्रपति को 1 जून, 2017 को समाप्त होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति देती है। इसका अर्थ यह है, अब, राष्ट्रपति के पास भी दोनों राज्यों के बीच विवादों पर निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। धारा 108 के अनुसार:

> *यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसी कोई बात कर सकेगा जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :*
>
> *परंतु ऐसा कोई आदेश, नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।*

चूंकि राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख होता है और राज्यों के बीच किसी भी विवाद के लिए राष्ट्रपति के पास जाना परंपरा और प्रथा है, इसलिए धारा 108 को कम से कम दो और वर्षों के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उपरोक्त विवादों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के

बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सके। इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा है।

चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए मैं गृह मंत्री से तत्काल ए.पी. पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करने और इस अवधि को दो वर्ष और बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

18.07.2017

(बीस) तेलंगाना में हुजुराबाद के रास्ते काजिपेट और करीमनगर तक नई रेल लाइन बिछाए जाने हेतु रेल सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): तेलंगाना राज्य में माल ढुलाई संचालन और यात्री आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए, मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह काजीपेट (एस.सी.आर.) और करीमनगर (एस.सी.आर.) को हुजुराबाद (एस.सी.आर.) से जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए एक रेलवे सर्वेक्षण शुरू करे। यदि काजीपेट और करीमनगर को हुजूराबाद के रास्ते एक रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो दक्षिण से पश्चिम की ओर आने वाली ट्रेनों को काजीपेट-करीमनगर-निजामाबाद से नांदेड़, औरंगाबाद और महाराष्ट्र और गुजरात के अन्य हिस्सों तक पहुंचाया जा सकता है। 70 कि.मी. लाइन काजीपेट के माध्यम से करीमनगर और दक्षिणी भारतीय राज्यों के बीच सीधे लिंक के रूप में काम करेगी, जिससे क्षेत्र में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही में अधिक गतिशीलता आएगी।

इस तरह, करीमनगर तेलंगाना राज्य में एक महत्वपूर्ण कनेक्टिंग रेलवे हब बन जाएगा, जो इस प्रस्तावित लाइन के महत्व को और रेखांकित करता है।

18.07.2017

(इक्कीस) शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग हेतु सहायक उपकरणों तथा साधनों पर जीएसटी के तहत लगाए गए कर में कमी किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले): इसमें कोई संदेह नहीं है, अतीत में किसी भी अन्य सरकार के विपरीत, यह सरकार शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति बहुत संवेदनशील है और उनके कल्याण और भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, जीएसटी परिषद का लोगों के इस वर्ग पर अन्य दृष्टिकोण है। जीएसटी अधिनियम के विभिन्न अध्यायों के तहत दिव्यांगों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उल्लेख किया गया है।

सभा को मालूम है कि दिव्यांग के लिए सहायक उपकरणों जैसे कि ब्रेल टाइपराइटर और ब्रेल पेपर, ब्रेल फ्रेम, स्लेट, स्क्रिप्ट राइटिंग गाइड से लेकर व्हीलचेयर, यूरिन कलेक्शन बैग, जॉइंट रिप्लेसमेंट, टॉकिंग बुक, सहायक श्रवण उपकरण, इम्प्लांट और अन्य उपकरणों पर अब 5% जीएसटी लगाया जा रहा है। लेकिन, साथ ही, इन उपकरणों या उपस्करों के निर्माण के लिए इनपुट और कच्चे माल पर 18% जीएसटी लगता है। भले ही इनपुट कर 18% है और अंतिम कर 5% लगाया जाता है, अन्यथा इसका मतलब है कि घरेलू निर्माता धनवापसी का दावा कर सकता है, लेकिन मैं पुरजोर महसूस करता हूँ कि यह 5% भी उन्हें अधिक चुभता है।

दूसरी बात, यदि आप कुछ ऑर्थोपेडिक उपकरणों की बात करते हैं, तो उनमें बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट और ट्रसेस पर 12% और दिव्यांग के लिए कारों पर 18% जीएसटी लगता है।

मुझे लगता है कि ये स्लैब अधिक हैं और इसलिए माननीय वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद से अनुरोध करता हूं कि उन्हें एक स्वीकार्य स्तर पर लाया जाए।

18.07.2017

(बाईस) केरल में रबड़ बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद किए जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर): राज्य में बड़ी संख्या अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने हेतु रबर बोर्ड के प्रस्तावित कदम से रबर बोर्ड की सेवाएं किसानों के लिए दुर्गम हो जाएंगी। देश में रबर बोर्ड के लगभग 44 क्षेत्रीय कार्यालयों में से लगभग 25 केरल में हैं। केरल में 12 लाख रबर किसान हैं और कुल रबर उत्पादन का 90 प्रतिशत केरल में होता है। किसान बड़े पैमाने पर पुनर्वृक्षारोपण, खेती सहायता और रबर सब्सिडी का लाभ उठाने के दौरान इन क्षेत्रीय कार्यालयों पर निर्भर हैं।

राज्य में रबर बोर्ड कार्यालयों को बंद करने, उनका विलय करने और उनकी संख्या कम करने के बोर्ड के निर्णय से किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। प्राकृतिक रबर की कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण वे पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए, मैं सरकार से इस कदम को तुरंत वापस लेने का अनुरोध करती हूं।

18.07.2017

(तेईस) पंजाब के नंगल में राष्ट्रीय उर्वरक संयंत्र की क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): मेरे निर्वाचन क्षेत्र आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र में, (पंजाब) नांगल टाउनशिप में एन.एफ.एल. संयंत्र का उत्पादन 7 लाख मीट्रिक टन है। संयंत्र में अतिरिक्त भूमि, भवन और अन्य बुनियादी ढांचा है। एक वर्ष पूर्व, पूर्ववर्ती सरकार ने ₹ 5500 करोड़ की लागत के साथ इसकी क्षमता को बढ़ाकर 13 लाख मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव भेजा था। यह प्रस्ताव भारत सरकार के पास है। बैंक गारंटी के बाद इक्विटी फंड के तौर पर केवल ₹ 1100 करोड़ की आवश्यकता है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी केवल ₹ 900 करोड़ और पंजाब सरकार की हिस्सेदारी ₹ 200 करोड़ है। उक्त संयंत्र के विस्तार से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुल उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इससे निर्यात भार कम होगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि पंजाब सरकार को उसके हिस्से का पैसा जारी करने का निर्देश दे और भारत सरकार को भी उनके हिस्से की निधि की व्यवस्था करनी चाहिए। एन.एफ.एल. प्लांट के विस्तार से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और यह पंजाब के लिए बहुत लाभदायक होगा।

18.07.2017

(चौबीस) संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : मैं सरकार का ध्यान संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह एक्ट झारखण्ड के छः जिलों दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज एवं जामतारा जिलों में लागू किया गया है। इस एक्ट को इस उद्देश्य से लाया गया, जिससे संथाल परगना के जनजाति लोग अपनी भूमि को संरक्षण आधिकार के रूप में प्राप्त कर सकें। यह एक्ट प्रथम बार अंग्रेजों के समय 1885 में लागू किया गया। इस एक्ट के लिए संथाल परगना के कई आदिवासी लोगों द्वारा आन्दोलन किया गया, जिसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए। इस आंदोलन के प्रेणता कान्हू मरमू को फाँसी हुई थी। इस संबंध में हर साल 30 जून को "हूल दिवस " मनाया जाता है। यह एक पुराना कानून है और इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं, परंतु सरकार को खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस आंदोलन का लाभ संथाल परगना को अभी तक नहीं मिला है। इस आंदोलन को राजनैतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। लगता है कि इसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कानून को समुचित ढंग से लागू भी नहीं किया जा रहा है। मनमाने ढंग से कई एजेन्सियों ने केन्द्र को संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट पर मिसगाइड किया है।

सरकार से अनुरोध है कि संथाल परगना पर जो संशोधन कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए निधाररित समुचित नियमानुसार प्रणाली का उपयोग किया जाए, जो वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। साथ ही साथ, मैं इस एक्ट की समीक्षा करने की अनुशंसा करता हूँ।

18.07.2017

(पच्चीस) डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस को 'राष्ट्रपिता' की उपाधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपेक्षित वर्ग का आद्वितीय रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्र निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर का विज़न और आधुनिक विश्व इतिहास के महानायक सुभाष चन्द्र बोस इन दोनों महान विभूतियों ने स्वतंत्र भारत के उज्ज्वल स्वरूप का सपना देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए अपने-अपने जीवन की आहुति दी थी। देशवासियों को "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा " का नारा देने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के असली हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर भारतीय राजनीति का कर्ण कहा जाए तो आतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा। जैसे महाभारत में महाबली कर्ण के साथ जीवनपर्यंत यहां तक कि मृत्यु तक अन्याय होता रहा, उसी तरह नेताजी के साथ पूरे जीवनकाल ही नहीं, मृत्यु के बाद भी अन्याय पर अन्याय ही हुआ, वह भी उनके अपने देश में। वहीं ब्रिटिश हुक्मरानों की आंख की किरकिरी रहे सुभाष बाबू के खाते में केवल उपेक्षा, अपमान, पलायन और मौत ही आई। कहा जाता है- सुभाष बाबू के आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने की भारतीय युवकों में दीवनागी देखकर ब्रिटिश सरकार के होश भी उड़ गए थे। नेताजी की नीति और कार्यों को इस तरह पेश नहीं किया गया, जितना वह डिजर्व करते थे। इसी तरह से भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सामाजिक एवं धार्मिक योगदान के रूप में मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति-पाति, ऊँच-नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन (1927),, महाड सत्याग्रह (वर्ष 1928), नासिक सत्याग्रह (वर्ष 1930), येवला की गर्जना

(वर्ष 1935), जैसे आंदोलन चलाये। बेजुबान, शोषित और आशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक पांच साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया था। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला-पुरूष के लिए समान नागरिक हिन्दू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति-निर्देशक तत्व, मौलिक आधिकार, मानवाधिकार, कम्पट्रोलर व ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई। प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक आधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वक्त के तकाजे को देखते हुए सुभाष बाबू के बलिदान एवं डाँ. अम्बेडकर के आधुनिक भारत के विजन को दृष्टिगत रखते हुए गांधी जी के साथ इन्हें भी राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान करते हुए भारतीय नोट पर इनकी भी तस्वीर छापी जाए, जो कि एक सच्चे देशभक्त के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

18.07.2017

(छब्बीस) महाराष्ट्र के सांगली जिले में नागपंचमी उत्सव मनाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : हम सब देश भर के सभी प्रदेशों में मनाये जाने वाले पारंपरिक धार्मिक त्यौहारों को बढ़ावा देने का काम सदियों से करते आ रहे हैं। इससे राष्ट्रीय एकात्मकता को बढ़ावा मिलता है और यह जरूरी भी है। ऐसा ही कई वर्षों से नागपंचमी जैसा त्यौहार देश भर में नाग देवता के प्रति अपनी भक्ति (आदर) दिखाने के लिए मनाया जाता है। नाग देवता (साँप) का एक बड़ा त्यौहार महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिराला में मनाया जाता है।

लेकिन बीते कई दिनों में कुछ पशु कल्याण संगठनों ने न्यायालय में इसी त्यौहार को लेकर शिकायत करने की वजह से इस त्यौहार पर न्यायालय ने पाबंदी लगाई है। इस वजह से यह त्यौहार मनाने के लिए इस इलाके में नागरिकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में इस त्यौहार को देखने के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों से पर्यटक आते हैं। इस वजह से स्थानिक लोगों के रोज़गार में बढ़ोत्तरी होती है। लेकिन फिलहाल न्यायालय की पाबंदी की वजह से इसमें रूकावट पैदा हुई है।

मेरा सरकार से पुरज़ोर अनुरोध है कि नागपंचमी का त्यौहार मनाने के लिए कानून में जो कुछ संशोधन करके इस त्यौहार को कानूनन इज़ाजत अगर दिलवाई जाती है तो इस प्रदेश के नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम साबित होगा।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा पुनः समवेत होने के लिए बुधवार, 19 जुलाई, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 जुलाई, 2017/ 28 आषाढ़, 1939 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

18.07.2017

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

18.07.2017

© 2017 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित